

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 158 : Disclosure of information by a public servant**

- (1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act (other than proceedings before a criminal court), or in any record of any proceedings under this Act shall, save as provided in sub-section (3), not be disclosed.
- (2) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), no court shall, save as otherwise provided in sub-section (3), require any officer appointed or authorized under this Act to produce before it or to give evidence before it in respect of particulars referred to in sub-section (1).
- (3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure of,—
  - (a) any particulars in respect of any statement, return, accounts, documents, evidence, affidavit or deposition, for the purpose of any prosecution under the Indian Penal Code (45 of 1860) or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), or any other law for the time being in force; or
  - (b) any particulars to the Central Government or the State Government or to any person acting in the implementation of this Act, for the purposes of carrying out the objects of this Act; or
  - (c) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise under this Act of any process for the service of any notice or recovery of any demand; or
  - (d) any particulars to a civil court in any suit or proceedings, to which the Government or any authority under this Act is a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under this Act or under any other law for the time being in force authorising any such authority to exercise any powers thereunder; or
  - (e) any particulars to any officer appointed for the purpose of audit of tax receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or
  - (f) any particulars where such particulars are relevant for the purposes of any inquiry into the conduct of any officer appointed or authorised under this Act, to any person or persons appointed as an inquiry officer under any law for the time being in force; or
  - (g) any such particulars to an officer of the Central Government or of any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty; or
  - (h) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise by a public servant or any other statutory authority, of his or its powers under any law for the time being in force; or
  - (i) any particulars relevant to any inquiry into a charge of misconduct in connection with any proceedings under this Act against a practising advocate, a tax practitioner, a practising cost accountant, a practising

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

chartered accountant, a practising company secretary to the authority empowered to take disciplinary action against the members practising the profession of a legal practitioner, a cost accountant, a chartered accountant or a company secretary, as the case may be; or

- (j) any particulars to any agency appointed for the purposes of data entry on any automated system or for the purpose of operating, upgrading or maintaining any automated system where such agency is contractually bound not to use or disclose such particulars except for the aforesaid purposes; or
  - (k) any particulars to an officer of the Government as may be necessary for the purposes of any other law for the time being in force; or
  - (l) any information relating to any class of taxable persons or class of transactions for publication, if, in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest, to publish such information.
-

**धारा 158 : लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना**

- (1) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों की सभी विषिष्टियों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा।
- (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए, भी कोई न्यायालय, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के संबंध में इन्हें उसके समक्ष पेश किए जाने या साक्ष्य स्वरूप दिए जाने की अपेक्षा नहीं करेगा।
- (3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात,—
- (क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में किन्हीं विशिष्टियों; या
- (ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को दी गई विशिष्टियों; या
- (ग) किसी नोटिस की तामील या किसी मांग की वसूली के लिए किसी विवरणिका की विशिष्टियों, जब ऐसा प्रकटन इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा किया जाता है; या
- (घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में किसी सिविल न्यायालय को जिसमें, इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है, दी गई विशिष्टियों; या
- (ङ) इस अधिनियम द्वारा कर रसीदों की लेखापरीक्षा या अधिरोपित कर की वसूली के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की किन्हीं विशिष्टियों; या
- (च) जहां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के आचार की किसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसा विवरण सुसंगत है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को दी गई विशिष्टियों; या
- (छ) कर या शुल्क का उदग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, ऐसी सरकार के किसी अधिकारी को दी गई विशिष्टियों; या
- (ज) जब ऐसा प्रकटन किसी लोक सेवक या किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसकी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग द्वारा किया जाता है, ऐसी विशिष्टियों; या
- (झ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवसायरत अधिवक्ता, किसी कर व्यवसायी, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचार के

आरोप में यथास्थिति, विधिक व्यवसाय या लागत लेखा या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की वृत्ति में व्यवसायगत सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को जांच से सुसंगत ऐसी विशिष्टियों; या

- (ज) किसी स्वचालित प्रणाली में डाटा की प्रविष्टि करने के प्रयोजनों या किसी स्वचालित प्रणाली के प्रचालन, उसके उन्नयन या अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण को जहां ऐसा अभिकरण संविदा द्वारा, पूर्वोक्त प्रयोजनों के सिवाय ऐसी विशिष्टियों का उपयोग न करने या उनका प्रकटन न करने के लिए आबद्ध है, ऐसी विशिष्टियों, या
- (ट) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी अधिकारी की किन्हीं यथावश्यक विशिष्टियों; और
- (ठ) प्रकाशन के लिए किन्हीं कराधेय व्यक्तियों के किसी वर्ग या संबन्धियों के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन के लिए यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछनीय है, ऐसी सूचना के प्रकाशन के संबंध में, से संबंधित कोई सूचना, के प्रकटन को लागू नहीं होगी।